संख्या-156/2025/2550/26-3-2025-1704094

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2378-79/स0क0/विकास/कोचिंग-बजट-83/2025-26, दिनांक 10.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या 83 के लेखाशीर्षक 2225-01-789-08-00 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ विभिन्न मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-310.40 लाख (रू0 तीन करोड़ दस लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-95/2025/1027/26-3-2025-1704094, दिनांक 24.04.2025 द्वारा धनराशि रू0 155.200 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-310.400 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 155.200 लाख (रू0 एक करोड़ पचपन लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या-83				
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण				
क्र0सं0	योजना का नाम/ लेखाशीर्षक /मानक मद लेखाशीर्षक-2225-01-789-08-00-08-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	01-वेतन	63.600	31.800	31.800

2	03-महंगाई भत्ता	38.160	19.080	19.080
3	04-यात्रा व्यय	1.000	0.500	0.500
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.400	0.200	0.200
5	06-अन्य भत्ता	0.500	0.250	0.250
6	07-मानदेय	65.000	32.500	32.500
7	08-कार्यालय व्यय	1.100	0.550	0.550
8	09-विद्युत देय	50.000	25.000	25.000
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.750	0.375	0.375
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.750	0.375	0.375
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.700	0.350	0.350
12	41-भोजन व्यय	45.000	22.500	22.500
13	42-अन्य व्यय	20.000	10.000	10.000
14	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.000	2.500	2.500
15	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.000	0.500	0.500
16	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.500	0.250	0.250
17	55-मकान किराया भत्ता	1.940	0.970	0.970
18	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.000	7.500	7.500
	योग	**310.400**	**155.200**	**155.200**

(कुल धनराशि रू0 एक करोड़ पचपन लाख बीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय

नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय कार्यालय संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च 2025 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 24-09-2025

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0-156 /2025/ 2550 (1)/26-3-2025 तद्दिनांक- 10-24-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।